संख्या-4/2015/13/5/98/का-1-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर,2015

विषय :- सेवा सम्बंधी/अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बंधी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में सरकारी सेवकों से अपेक्षित है कि सेवा सम्बंधी मामलों में प्रत्यावेदन/पत्राचारों को उचित माध्यम के द्वारा यथास्थिति, अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। प्रदेश के सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बंध में कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है, जिसके नियम-27-ए में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं:-

> Representation by government servants.- No government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 27 shall apply to this rule also.

2- संदर्भित नियमावली के उक्त प्राविधानों से स्वतः स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यावेदनों को "द्वारा उचित माध्यम" (through the proper channel) ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध समुचित/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

3- कृपया उक्त संदर्भित नियमावली के नियम 27-ए का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आलोक रंजन
मुख्य सचिव ।

संख्या-4/2015/13/5/98(1)/का-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव कुमार
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in